न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 384 / 2020 निर्णय दिनांक :–22.02.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

पुष्पलता पत्री काना पत्नि भवंरलाल जाति ढोली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 – अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 140 खसरा नम्बर 342 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में गलती से सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम पुष्पलता की जगह ललता पुत्री काना अंकित हो गया जो पूर्ण रूप से गलत है। प्रार्थीया के पिता काना के ललता नाम की कोई पुत्री नही है तथा ना ही गांव मे ललता पुत्री काना ढोली नाम की महिला है। प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेज जन आधार कार्ड, आधार कार्ड मे पुष्पलता अंकित जो सही एवं सत्य है। प्रार्थीया की तन आंवा मे खातेदारी की भूमि खाता संख्या 349 है उसमे भी राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम पुष्पलता अंकित हो रखा है तथा प्रार्थीया के पिता का नाम कन्हैयालाल है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे गलत अंकन होने से प्रार्थीया सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रही है तथा ना ही बैंक से लोन व केसीसी ऋण प्राप्त कर पा रही है तथा प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त त्रुटि लिपिकीय भूलवश हुई है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इस कारण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम ललता पुत्री काना की जगह पुष्पलता पुत्री कन्हैयालाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल खाता संख्या 140 खसरा नम्बर 342 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम

रामपुरा पटवार हल्का कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किया जाकर ललता पुत्री काना की जगह पुष्पलता पुत्री कन्हैयालाल ढोली अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार हैः— बिन्दु संख्या 01 आंशिक स्वीकार है वादी स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 02 आंशिक अस्वीकार है वादी स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 03 आंशिक स्वीकार है। परन्तु खाता संख्या 349 एवं खाता संख्या 342 में काश्तकार के नाम एवं पिता के नाम में मिलान नहीं हो रहा है। बिन्दु संख्या 04 आंशिक अस्वीकार है। कानूनी है। बिन्दु संख्या 05 कानूनी है। न्यायालय से संबंधित है। विशेष :— प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड एवं प्रमाणित दस्तावेजो आदि से स्वंय सिद्ध करे। जवाब दावा श्रीमान की सेवा मे सादर पेश है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 349 में प्रार्थीया का नाम पुष्पलता पुत्र कन्हैयालाल दर्ज राजस्व अभिलेख है और जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 140 के ख. नं. 342 में ललता पुत्र काना दर्ज रिकॉर्ड है। जन आधार कार्ड व आधार कार्ड में पुष्पलता पत्नी भंवरलाल निवासी रानीपुरा बून्दी अंकित है। प्रार्थीया ललता पुत्र काना के स्थान पर पुष्पलता पुत्री कन्हैयालाल जमबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 140 के ख. नं. 342 में करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने ऐसा कोई अन्य सरकारी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें प्रार्थीया का नाम पुष्पलता पुत्री कन्हैयालाल अंकित हो तथा प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र व बहस में यह नहीं बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम का परिवर्तन किस तरह हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया व पिता के नाम परिवर्तन को एल0आर0 एक्ट की धारा 136 के तहत सुधारा नही जा सकता है। इसके लिए प्रार्थीया को न्यायालय में नियमित वाद पेश करना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 के नियमो से परे होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली